मध्यप्रदेश विधान सभा

जून-अगस्त, 1990 सत्र

दैनिक कार्य-सूची

शुक्रवार, दिनांक 22 जून, 1990 (आषाढ़ 1, 1912)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) चौधरी राकेश सिंह /श्री सूबेदार सिंह / श्री ताराचन्द साहू, सदस्य, मुरैना के पुंज एलाइड कारखाने की छत गिरने से अनेक लोगों की मृत्यु होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री चन्द्रशेखर साहू, सदस्य, प्रदेश की बुनकर सहकारी संस्थाओं की दयनीय स्थिति की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) सर्व श्री रमाकान्त तिवारी/ जगदम्बा प्रसाद निगम/रामलखन शर्मा सदस्य, रीवा जिले के अनेक क्षेत्रों में डकैती एवं अपहरण की घटनाएं होने की ओर मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(4) श्रीमती रामरानी जौहर, सदस्य, जबलपुर जिले के कटनी नगर में अग्निकांड से हुई क्षति की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगी.

3. प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

श्री नन्द कुमार सिंह चौहान, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे तथा निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे:—

"सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है."

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री सूबेदार सिंह, सदस्य, जिला मुरैना, तहसील जौरा के अन्तर्गत सबलगढ़ से अम्बाह तक की बनी रोड को जो अत्यधिक खराब हो गई है जिसको दुरूस्त कर डामरीकरण किये जाने के संबंध में 46 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, जिला टीकमगढ़ के ग्राम मौखरा एवं खिरकों को नगर-पालिका बड़ागांव (धसान) से पृथक कर पुनः मौखरा को पंचायत बनाने के संबंध में 141 व्यक्तियों की याचिका प्रस्तुत करेंगे.

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय 45 मिनिट

श्री बाबूलाल जैन, मंत्री, वाणिज्यिक कर, द्वारा किये गये प्रस्ताव पर कि भारतीय स्टाम्प (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 1990 (क्रमांक 12, सन् 1990) पर विचार किया जाय—चर्चा का पुनर्ग्रहण.

(शेष 15 मिनिट)

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

6· अशासकीय विधि विषयक कार्य

श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य, मध्यप्रदेश विधान सभा सदस्य, वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 1990 (क्रमांक 10 सन् 1990) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

7. अशासकीय संकल्प

(1) श्री जगदम्बा प्रसाद निगम, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :—

"सदन का मत है कि लघु वनोपज समिति के कार्य क्षेत्र में हर्रा, साल बीज व अचार का संग्रहण एवं विपणन भी तेन्दू पत्ता के समान शामिल किया जाय ."

(2) श्री चन्द्र शेखर साहू, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :—

"इस सदन का मत है कि अभनपुर जिला रायपुर में शासन नीति के अनुरूप तहसील की स्थापना की जाय."

(3) श्री जालम सिंह पटेल, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :—

"सदन का यह मत है कि महानदी जलाशय परियोजना के कंवर हट शाखा तथा सेम्हारा डिस्ट्रीब्यूटरी क्रमांक-1 की लाइनिंग (फर्शीकरण) नहीं होने के कारण जो 32 ग्राम सिंचाई सुविधा से वंचित हैं, उन्हें उपरोक्त माइनर्स/डिस्ट्रीब्यूटरी की लाइनिंग वर्ष 1990-91 में कराकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाय ."

(4) श्री सुरेश सेठ, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे:—

"सदन की राय में मानवीय आधार पर आकस्मिक दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति के प्राणों की रक्षा के लिये शासकीय चिकित्सालय में उपचार के बंधन से मुक्त कर उसे उपचार हेतु किसी भी निकटस्थ चिकित्सालय में चाहे वह शासकीय हो या अशासकीय हो भर्ती किये जाने को वैधानिक माना जाए. वैधानिक कार्यवाही हेतु पुलिस संबंधित चिकित्सालय जहां घायल व्यक्ति को भर्ती किया गया हो, जानकारी प्राप्त कर आगामी कार्यवाही प्रारंभ करें."

(5) श्री शिवराज सिंह, सदस्य निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :—

"इस सदन का मत है कि प्रदेश में जिलेवार कृषकों एवं अन्य उपभोक्ताओं द्वारा विद्युत कनेक्शन एवं सिंचाई पम्प हेतु किये गये आवेदनों पर तुरन्त कार्यवाही कर कनेक्शन प्रदाय किये जायें. ऐसा न हो पाने की स्थिति में आवेदकों की जमा राशि मय ब्याज के इसी वित्तीय वर्ष में वापिस कर दी जाय."

भोपाल :
दिनांक 21 जून, 1990

विश्वेन्द्र मेहता
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.